

पत्रांक:- 194 / 61 व्यघ-सामान्य / 26

दिनांक 06/03/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष निम्न रिट याचिकाएँ दायर की गयी हैं:-

1. Writ Petition No. 455 of 2026 (S/S) Puran Singh Vs. State of Uttarakhand and others.
2. Writ Petition No. 457 of 2026 (S/S) Arti Vs. State of Uttarakhand and others.
3. Writ Petition No.482 of 2026 (S/S) Ajay Singh Jugtwan Vs. State of Uttarakhand and others.

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 18.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं:-

"Till further orders, petitioner(s) shall not be discontinued from service and he shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration; however, this interim order will not come in the way of joining of the regularly selected candidate."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776 / 111(1) / 26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216 / 196 व्यघ-सामान्य / 17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226 / 196 व्यघ-सामान्य / 17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिनका क्रमांक 74, 24 एवं 72 पर नाम अंकित है, को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र० सं० | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|---------------------|--------------------------|----------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री पूरन सिंह रावत | श्री लक्ष्मण सिंह | 10.04.91 | रिट याचिका संख्या-455/एस0एस0/2026 पूरन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | प्रान्तीय खण्ड, चम्पावत |
| 2 | श्रीमती आरती | श्री राजकुमार विश्वकर्मा | 01.07.90 | रिट याचिका संख्या-457/एस0एस0/2026 आरती बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | अस्थाई खण्ड, धृत्यूड |
| 3 | श्री अजय जुगत्वान | श्री रणजीत सिंह | 15.04.90 | रिट याचिका संख्या-482/एस0एस0/2026 अजय सिंह जुगत्वान बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | पी0आई0यू0, बद्रीनाथ |

8-

(राजेश चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि—सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को (ई-मेल द्वारा) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
- 2.सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
- 3.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करवाये।

प्रतिलिपि- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

Pr
12/12/24
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-estd.pwduk@gmail.com

पत्रांक:- 195 / 61 व्यघ-सामान्य / 26

दिनांक 06 / 03 / 2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष निम्न रिट याचिकाएँ दायर की गयी हैं:-

1. Writ Petition No.508 of 2026 (S/S) Sanjay Singh Kanwal Vs. State of Uttarakhand and others.
2. Writ Petition No. 510 of 2026 (S/S) Manoj Kumar Gaira Vs. State of Uttarakhand and others.

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 20.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं:-

"In the meantime, it is provided that the services of the petitioner as a Junior Engineer shall not be disengaged till the regularly selected candidates are available with the respondent-Department and also to pay remuneration to the petitioner regularly as admissible under law."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776 / 111(1) / 26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216 / 196 व्यघ-सामान्य / 17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226 / 196 व्यघ-सामान्य / 17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आवद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिनका क्रमांक 20 एवं 39 पर नाम अंकित है, को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित घयन अथवा उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र० सं० | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|----------------------|-----------------|----------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री संजय सिंह कनवाल | श्री उमेश सिंह | 03.07.90 | रिट याचिका संख्या-508 / एस0एस0 / 2026 संजय सिंह कनवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | अस्थाई खण्ड, बेरीनाग |
| 2 | श्री मनोज कुमार गैडा | श्री भूपाल सिंह | 01.02.89 | रिट याचिका संख्या-510 / एस0एस0 / 2026 मनोज कुमार गैडा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा |

80-

(राजेश चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (ई-मेल द्वारा) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करवाये।

प्रतिलिपि: वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि: सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।


प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष




कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-estd.pwduk@gmail.com

पत्रांक:- 196 / 61 व्यघ-सामान्य/26

दिनांक 06/03/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के सम्मक्ष निम्न रिट याचिकाएँ दायर की गयी हैं-

1. Writ Petition No. 530 of 2026 (S/S) Shakil Ahmed Vs. State of Uttarakhand and others.
2. Writ Petition No. 531 of 2026 (S/S) Sandeep Bisht Vs. State of Uttarakhand and others.
3. Writ Petition No.533 of 2026 (S/S) Ashish Singh Dharmasaktu Vs. State of Uttarakhand and others.
4. Writ Petition No.534 of 2026 (S/S) Aklesh Singh Vs. State of Uttarakhand and others.
5. Writ Petition No. 536 of 2026 (S/S) Asheesh Singh Vs. State of Uttarakhand and others.
6. Writ Petition No. 537 of 2026 (S/S) Birendra Singh Vs. State of Uttarakhand and others.
7. Writ Petition No. 538 of 2026 (S/S) Rajat Negi Vs. State of Uttarakhand and others.
8. Writ Petition No. 539 of 2026 (S/S) Harish Chandra Joshi Vs. State of Uttarakhand and others.
9. Writ Petition No. 540 of 2026 (S/S) Ashok Kumar Vs. State of Uttarakhand and others.

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा10 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 23.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं:-

"Till further orders, petitioner shall not be discontinued from service and they shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration. This interim order shall last only till completion of the ongoing selection process."

मा10 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776 / 111(1)/26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचिका जिनका क्रमांक 55, 17, 26, 25, 60, 40, 71, 50 एवं 54 पर नाम अंकित है, को मा10 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा10 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र सं | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा10 न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|--------|--------------------------|-----------------|----------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री शकील अहमद | श्री सुआल अहमद | 09.04.90 | रिट याचिका संख्या-530/एस0एस0/2026 शकील अहमद बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, नैनीताल |
| 2 | श्री सन्दीप बिष्ट | श्री गब्बर सिंह | 18.08.90 | रिट याचिका संख्या-531/एस0एस0/2026 सन्दीप बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | रा0मा0खण्ड, बड़कोट |
| 3 | श्री आशीष सिंह धर्मशक्तू | श्री नेत्र सिंह | 21.12.90 | रिट याचिका संख्या-533/एस0एस0/2026 आशीष सिंह धर्मशक्तू बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | प्रान्तीय खण्ड, चम्पावत |

| क्र० सं० | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा० न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|--------------------------|----------------------|----------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | श्री अकलेश सिंह | श्री खुशी लाल | 05.02.91 | रिट याचिका संख्या-534/एस०एस०/2026 अकलेश सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | अस्थाई खण्ड, कीर्तिनगर |
| 5 | श्री आशीष सिंह | श्री विक्रम सिंह | 19.06.89 | रिट याचिका संख्या-536/एस०एस०/2026 आशीष सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, पुरोला |
| 6 | श्री वीरेन्द्र सिंह रावत | श्री जसपाल सिंह | 15.01.90 | रिट याचिका संख्या-537/एस०एस०/2026 वीरेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | प्रान्तीय खण्ड, रुद्रप्रयाग |
| 7 | श्री रजत नेगी | श्री रणजीत सिंह नेगी | 25.06.86 | रिट याचिका संख्या-538/एस०एस०/2026 रजत नेगी सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | प्रान्तीय खण्ड, रुद्रप्रयाग |
| 8 | श्री हरीश जोशी | श्री दत्त राम जोशी | 15.06.89 | रिट याचिका संख्या-539/एस०एस०/2026 हरीश चन्द्र जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, चम्बा |
| 9 | श्री अशोक कुमार मैखुरी | श्री पूरण चन्द्र | 05.02.87 | रिट याचिका संख्या-540/एस०एस०/2026 अशोक कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर |

ह०-

(राजेश चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को (ई-मेल द्वारा) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
- 2.सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
- 3.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करवायें।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

19/01/26
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-estd.pwduk@gmail.com

पत्रांक-197 / 61 व्यघ-सामान्य/26

दिनांक 06 / 03 / 2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष निम्न रिट याचिकाएँ दायर की गयी हैं:-

1. Writ Petition No.548 of 2026 (S/S) Amit Thapliyal Vs. State of Uttarakhand and others.
2. Writ Petition No. 560 of 2026 (S/S) Surendra Singh Vs. State of Uttarakhand and others.
3. Writ Petition No.561 of 2026 (S/S) Anurag Tripathi Vs. State of Uttarakhand and others.
4. Writ Petition No. 563 of 2026 (S/S) Asha Lata Vs. State of Uttarakhand and others.
5. Writ Petition No. 564 of 2026 (S/S) Pooja Rawat Vs. State of Uttarakhand and others.
6. Writ Petition No. 566 of 2026 (S/S) Arvind Singh Vs. State of Uttarakhand and others.

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 24.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं:-

"Till further orders, petitioner(s) shall not be discontinued from service and he shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration; however, this interim order will not come in the way of joining of the regularly selected candidates."

मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776 / 111(1) / 26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216 / 196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226 / 196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आवद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिनका क्रमांक 12, 16, 70, 29, 38 एवं 18 पर नाम अंकित है, को मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हों, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र० सं० | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा० न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|--------------------------|-------------------------------|----------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री अमित थपलियाल | श्री राजेन्द्र प्रसाद थपलियाल | 21.02.91 | रिट याचिका संख्या-548 / एस०एस० / 2026 अमित थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | पी०आई०यू०, बद्रीनाथ |
| 2 | श्री सुरेन्द्र सिंह रावत | श्री माधो सिंह | 24.06.91 | रिट याचिका संख्या-560 / एस०एस० / 2026 सुरेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, पोखरी |
| 3 | श्री अनुराग त्रिपाठी | श्री पी०एन० त्रिपाठी | 26.07.90 | रिट याचिका संख्या-561 / एस०एस० / 2026 अनुराग त्रिपाठी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | प्रान्तीय खण्ड, रुद्रप्रयाग |
| 4 | श्रीमती आशालता शाह | स्व० श्री प्रेम लाल शाह | 20.01.91 | रिट याचिका संख्या-563 / एस०एस० / 2026 आशालता शाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी |
| 5 | श्रीमती पूजा रावत | श्री जगदीश सिंह रावत | 24.04.90 | रिट याचिका संख्या-564 / एस०एस० / 2026 पूजा रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी |

| क्र० सं० | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा० न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|-------------------|-----------------|----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | श्री अरविन्द सिंह | श्री जगदीश सिंह | 10.05.91 | रिट याचिका संख्या-566/एस०एस०/2026 अरविन्द सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | पी०आई०यू०, बदीनाथ |

डा -
(राजेश चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि :- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को (ई-मेल द्वारा) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करवायें।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

ho 12/11/24
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>E-Mail-estd.pwduk@gmail.com

पत्रांक:- 198 / 61 व्यघ-सामान्य/26

दिनांक 06/03/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के सम्म निम्न रिट याचिकाएँ दायर की गयी हैं-

1. Writ Petition No. 565 of 2026 (S/S) Parma Nand Devrari Vs. State of Uttarakhand and others.
2. Writ Petition No. 569 of 2026 (S/S) Diksha Negi Vs. State of Uttarakhand and others.
3. Writ Petition No.570 of 2026 (S/S) Ashok Kumar Vs. State of Uttarakhand and others.
4. Writ Petition No. 571 of 2026 (S/S) Pooja Rana Vs. State of Uttarakhand and others.
5. Writ Petition No. 572 of 2026 (S/S) Manoj Kumar Vs. State of Uttarakhand and others.
6. Writ Petition No. 573 of 2026 (S/S) Chetan Singh Vs. State of Uttarakhand and others.
7. Writ Petition No. 574 of 2026 (S/S) Anand Prasad Vs. State of Uttarakhand and others.
8. Writ Petition No. 575 of 2026 (S/S) Eshank Kanswal Vs. State of Uttarakhand and others.
9. Writ Petition No. 580 of 2026 (S/S) Anuj Rawat Vs. State of Uttarakhand and others.
10. Writ Petition No. 581 of 2026 (S/S) Archana Bisht Vs. State of Uttarakhand and others.
11. Writ Petition No. 583 of 2026 (S/S) Deepak Semwal Vs. State of Uttarakhand and others.
12. Writ Petition No. 584 of 2026 (S/S) Neha Singh Vs. State of Uttarakhand and others.
13. Writ Petition No. 589 of 2026 (S/S) Vineeta Arya Vs. State of Uttarakhand and others.
14. Writ Petition No. 593 of 2026 (S/S) Sunil Prasad Vs. State of Uttarakhand and others.
15. Writ Petition No. 594 of 2026 (S/S) Jagmohan Singh Vs. State of Uttarakhand and others.

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 25.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं:-

"Till further orders, petitioner(s) shall not be discontinued from service and he shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration; however, this interim order will not come in the way of joining of the regularly selected candidates."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776/11(1)/26-98826 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) सविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिनका क्रमांक 11, 52, 33, 21, 81, 46, 64, 49, 57, 58, 48, 23, 28, 56, एवं 15 पर नाम अंकित है, को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक सविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र0 सं0 | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|------------------------|---------------------|----------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री परमानन्द देवराड़ी | श्री धिन्तामणी | 26.01.87 | रिट याचिका संख्या- 565/एस0एस0 /2026 परमानन्द देवराड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग |
| 2 | श्रीमती दीक्षा नेगी | श्री गंगा सिंह नेगी | 10.06.91 | रिट याचिका संख्या-569/एस0एस0/2026 दीक्षा नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, पुरोला |

| क्र० सं० | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा० न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|----------------------|-------------------------|----------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | श्री अशोक कुमार | श्री रमेश लाल | 17.07.87 | रिट याचिका संख्या-570/एस०एस०/2026 अशोक कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, बैजरो |
| 4 | श्रीमती पूजा राणा | श्री धन सिंह राणा | 03.06.91 | रिट याचिका संख्या-571/एस०एस०/2026 पूजा राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी |
| 5 | श्री मनोज कुमार | श्री हीरा राम | 17.03.78 | रिट याचिका संख्या-572/एस०एस०/2026 मनोज कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड-2, ए०डी०बी० नैनीताल |
| 6 | श्री चेतन चौहान | श्री दर्मियान सिंह | 01.07.91 | रिट याचिका संख्या-573/एस०एस०/2026 चेतन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी |
| 7 | श्री आनन्द प्रसाद | श्री रामप्रसाद | 02.01.84 | रिट याचिका संख्या-574/एस०एस०/2026 आनन्द प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | रा०मा०खण्ड, रुद्रप्रयाग |
| 8 | श्री ईशांक कन्सवाल | श्री महावीर सिंह | 10.06.91 | रिट याचिका संख्या-575/एस०एस०/2026 ईशांक कन्सवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, बड़कोट |
| 9 | श्री अनुज रावत | श्री जगवीर सिंह | 12.04.90 | रिट याचिका संख्या-580/एस०एस०/2026 अनुज रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, बड़कोट |
| 10 | श्रीमती अर्चना बिष्ट | श्री जीवन सिंह बिष्ट | 26.03.90 | रिट याचिका संख्या-581/एस०एस०/2026 अर्चना बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, नैनीताल |
| 11 | श्री दीपक सेमवाल | श्री रतनमणी सेमवाल | 29.04.91 | रिट याचिका संख्या-583/एस०एस०/2026 दीपक सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, पोखरी |
| 12 | श्रीमती नेहा सिंह | पुत्री श्री नारायण सिंह | 20.01.91 | रिट याचिका संख्या-584/एस०एस०/2026 नेहा सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | अस्थाई खण्ड, भवाली |
| 13 | श्रीमती विनीता आर्य | श्री रामस्वरूप | 02.03.91 | रिट याचिका संख्या-589/एस०एस०/2026 विनीता आर्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, पावौ |
| 14 | श्री सुनील प्रसाद | श्री देवेन्द्र प्रसाद | 04.06.86 | रिट याचिका संख्या-593/एस०एस०/2026 सुनील प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | अस्थाई खण्ड, घनसाली |



| क्र० सं० | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा० न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | श्री जगमोहन सिंह | श्री करन सिंह | 16.01.91 | रिट याचिका संख्या-594/एस०एस०/2026 जगमोहन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | रा०मा०खण्ड, श्रीनगर |

ह

(राजेश चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि :-सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को (ई-मेल द्वारा) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
- 2.सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
- 3.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि :-अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करवायें।

प्रतिलिपि :-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (सविदा)।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

→



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-estd.pwduk@gmail.com

पत्रांक:- 199 / 61 व्यघ-सामान्य/26

दिनांक 06 / 03 / 2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष निम्न रिट याचिकाएँ दायर की गयी हैं:-

1. Writ Petition No. 567 of 2026 (S/S) Bhavna Rawat Vs. State of Uttarakhand and others.
2. Writ Petition No. 609 of 2026 (S/S) Ashish Kumar Vs. State of Uttarakhand and others.
3. Writ Petition No. 610 of 2026 (S/S) Reena Raturi Vs. State of Uttarakhand and others.
4. Writ Petition No. 611 of 2026 (S/S) Sonam Bisht Vs. State of Uttarakhand and others.
5. Writ Petition No. 612 of 2026 (S/S) Amit Kumar Vs. State of Uttarakhand and others.
6. Writ Petition No. 615 of 2026 (S/S) Abhishek Singh Vs. State of Uttarakhand and others.

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 26.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं:-

"Till further orders, petitioner shall not be discontinued from service and he shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration; however, this interim order will not come in the way of joining of the regularly selected candidate."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776 / 111(1)/26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचिकाओं जिनका क्रमांक 36, 62, 31, 44, 37 एवं 73 पर नाम अंकित है, को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र० सं० | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|---------------------|------------------------|----------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्रीमती भावना रावत | श्री रतन सिंह | 02.01.91 | रिट याचिका संख्या-567/एस0एस0/2026 भावना रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी |
| 2 | श्री आशीष कुमार | श्री सूरत लाल | 02.07.88 | रिट याचिका संख्या-609/एस0एस0/2026 आशीष कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, पौड़ी |
| 3 | श्रीमती रीना रतूड़ी | श्री सुन्दर लाल रतूड़ी | 31.03.88 | रिट याचिका संख्या-610/एस0एस0/2026 रीना रतूड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, श्रीनगर |

| क्र० सं० | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा० न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|--------------------|-------------------|----------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | श्रीमती सोनम बिष्ट | श्री रमेश बिष्ट | 09.09.90 | रिट याचिका संख्या-811/एस०एस०/2026 सोनम बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | रा०मा०खण्ड, बड़कोट |
| 5 | श्री अमित कुमार | श्री सत्यपाल सिंह | 20.05.91 | रिट याचिका संख्या-812/एस०एस०/2026 अमित कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, पोखरी |
| 6 | श्री अभिषेक सिंह | श्री हरिमोहन सिंह | 05.03.87 | रिट याचिका संख्या-815/एस०एस०/2026 अभिषेक सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | रा०मा० खण्ड, श्रीनगर |


(राजेश चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि :-सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को (ई-मेल द्वारा) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि :-अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करवायें।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि :-सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (सविदा)।


प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-estd.pwduk@gmail.com

पत्रांक:- 260 / 61 व्यघ-सामान्य/26

दिनांक 06/03/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के सम्मक्ष निम्न रिट याचिकाएँ दायर की गयी हैं:-

1. Writ Petition No. 644 of 2026 (S/S) Bhoopal Singh Vs. State of Uttarakhand and others.
2. Writ Petition No. 645 of 2026 (S/S) Bintay Asad Vs. State of Uttarakhand and others.

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 27.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं:-

"Till further orders, petitioner(s) shall not be discontinued from service and he shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration. This interim order shall last only till completion of the ongoing selection process."

मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 27.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776/ 111(1)/26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आवद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिनका क्रमांक 63 एवं 47 पर नाम अंकित है, को मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित घयन अथवा उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

| क्र० सं० | नाम | पिता का नाम | जन्मतिथि | मा० न्यायालय में दायर रिट याचिका | तैनाती कार्यालय का नाम |
|----------|-------------------|-----------------------|----------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री भूपाल सिंह | श्री ज्ञानचन्द्र | 10.04.86 | रिट याचिका संख्या-644/एस०एस०/2026 भूपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | प्रान्तीय खण्ड, भटवाडी |
| 2 | श्रीमती बिनते असद | स्व० श्री अँफजाल अहमद | 03.01.86 | रिट याचिका संख्या-645/एस०एस०/2026 बिनते असद बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य | निर्माण खण्ड, पाबी |

(राजेश चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

शेष पृष्ठ-02 पर

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को (ई-मेल द्वारा) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करवायें।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि :- सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष